न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 04 / 2020

देवदयाल उर्फ गिरधारी पुत्र मदन जाति गूजर निवासी चौकीपुरा हाल निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर ।

.... **अपीलान्ट**

बनाम

तहसीलदार भरतपुर जरिये पैरोकार सरकार ।

..... **रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 17.06.2000 द्वारा नायब तहसीलदार भरतपुर कैम्प जाटौली स्थवान।

उपस्थित :

1. एड0 शशि बंसल , अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक 05.10.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण सं0 206 नायब तहसीलदार भरतपुर आदेश दि0 17.06.2000 इस आशय की प्रस्तुत की है कि नायब तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट के हक में पिता मृतक मदन पुत्र तुलाराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 206 वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण खोले जाने के दौरान पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम देवदयाल के स्थान पर गिरधारी दर्ज कर दिया है। चूंकि अपीलान्ट को प्यार से परिवारीजन व ग्रामवासी गिरधारी के नाम पुकारते है। इसी आधार पर दाखिला खारिज खोलते समय देवदयाल के स्थान पर गिरधारी लिख दिया है जबकि अपीलान्ट देवदयाल व गिरधारी एक व्यक्ति है। जबकि प्रार्थी का सही नाम देवदयाल है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों यथा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व राशनकार्ड तथा मार्कसीट में भी देवदयाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वह खातेदारी पर मिलने वाले लाभों से वंचित हो रहा है। प्रार्थी का नाम नामान्तकरण में देवदयाल के स्थान पर गिरधारी गलत दर्ज कर दिया है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर दाखिल खारिज संख्या 206 दिनांक 17.06.2000 को अपीलान्ट के हक तक निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में गिरधारी के स्थान पर अपीलान्ट का सही नाम देवदयाल पुत्र मदन दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा मृतक मदन की विरासत का नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 17.06.2000 वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर अपीलान्ट के हक में खोला गया है। जिसमें अपीलान्ट का नाम गिरधारी गलत दर्ज कर दिया है, जबकि उसका सही नाम देवदयाल ही है। आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, तथा मार्कसीट आदि में भी उसका सही नाम देवदयाल दर्ज है। राजस्व अभिलेख में नाम गलत दर्ज होने से अपीलान्ट को सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाऐ प्राप्त नही हो रही है। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका सही नाम देवदयाल दर्ज करने की प्रार्थना अपनी बहस में की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में जाहिर किया कि नामान्तकरण सही खोला गया है। जिसकी जांच कराना उचित होगा।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 206 दि0 17.06.2000 वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण स्व0 मदन की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में मृतक मदन के अन्य वारिसान के साथ अपीलान्ट का नाम गिरधारी दर्ज है, किन्तु अपीलान्ट का असली नाम देवदयाल हैं। गिरधारी तो उसका घरेलू एवं मुंह बोला नाम प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा – आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा मार्कसीट आदि में भी अपीलान्ट का असली नाम देवदयाल पुत्र मदनसिंह ही अंकित है। स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। अस्तु नामान्तकरण संख्या सं0 206 दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

17.06.2000 में दर्ज गिरधारी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर देवदयाल पुत्र मदन दर्ज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण सं0 206 दि0 17.06.2000 वाके ग्राम कारीठ तहसील भरतपुर में गिरधारी पुत्र मदन का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर देवदयाल पुत्र मदन दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर